भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1201

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

महाराष्ट्र में पीएमएमवाई ऋणों के अंतर्गत एनपीए

1201. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच ऋण कवरेज में किसी अंतराल की पहचान की है और यदि हां, तो वर्ष 2015 से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋण लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमियों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत ऋण आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) अस्वीकृति के लिए क्या कारण बताए गए हैं और क्या राज्य में आवेदकों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से पीएमएमवाई ऋणों के अंतर्गत गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का ब्यौरा क्या है, साथ ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत कुल राशि कितनी है तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पीएमएमवाई से संबंधित कोई क्षमता निर्माण कार्यक्रम या उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित किया है और यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जून 2025 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत 4.29 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2015 से महाराष्ट्र में पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमियों की वर्षवार कुल संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या का केंद्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ग): पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण आवेदन-पत्रों के अस्वीकृत होने के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• परियोजना की गैर-व्यवहार्यता;
• स्वीकृति-पूर्व चरण में पाई गई विसंगतियाँ, जैसे कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करना, उधारकर्ता का उल्लिखित पते पर न मिलना आदि;
• उधारकर्ता का असंतोषजनक ऋण (क्रेडिट हिस्टरी), जैसे अपर्याप्त सिबिल स्कोर, पिछला एनपीए इतिहास आदि;
• परियोजना से संबंधित, जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक पंजीकरण/अनुमोदन की अनुपलब्धता आदि।

इसके अलावा, शाखा परिसर में उस अधिकारी का नाम प्रदर्शित किया जाता है जिनसे शिकायतकर्ता अपनी किसी भी शिकायत के लिए संपर्क कर सकता है। यदि शाखा स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो उसे बैंक के अगले उच्च स्तर के शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास भेज दिया जाता है और 30 दिनों के अंदर अंतिम प्रतियुत्तर दिया जाता है। शिकायतकर्ता शाखा में प्रदर्शित पते पर क्षेत्रीय प्रबंधक/ आंचलिक प्रबंधक/ प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) से भी संपर्क कर सकते है।

(घ): राज्यवार एनपीए का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। पीएमएमवाई के तहत एनपीए की वसूली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और ग्राहक से बार बार संपर्क करना;
• पात्र खातों का पुनर्गठन और एकमुश्त निपटान (ओटीएस)।

(ङ): महाराष्ट्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,352 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के माध्यम से ऋण से जुड़े क्षमता निर्माण और उद्यमिता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें ऋण-संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य भर में बैंकों द्वारा 5,738 वित्तीय साक्षरता शिविर (एफएलसी) आयोजित किए गए।

*****

"महाराष्ट्र में पीएमएमवाई ऋणों के अंतर्गत एनपीए" से संबंधित दिनांक 28.7.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के भाग (क) के संबंध में अनुबंध-I

		ऋण खातों की संख्या (लाख में)			
क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	एससी	एसटी	ओबीसी	महिला उद्यमी
1	2015-16	5.86	2.68	11.41	29.40
2	2016-17	5.79	2.20	12.51	27.48
3	2017-18	5.65	2.13	10.65	28.53
4	2018-19	6.11	2.40	10.68	31.89
5	2019-20	6.08	2.61	11.40	34.79
6	2020-21	5.17	2.33	10.24	29.58
7	2021-22	5.88	2.81	11.52	35.89
8	2022-23	6.35	3.39	14.46	43.50
9	2023-24	6.78	3.50	13.48	40.97
10	2024-25	5.72	3.01	12.59	33.70
11	2025-26*	0.26	0.16	1.20	2.63
	Total	**59.65**	**27.22**	**120.13**	**338.35**

*अनंतिम (जून 2025 की स्थिति के अनुसार)

स्रोत: सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अद्यतन आंकड़ों के अनुसार